न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्रमांक संख्या : 15/266

1. श्रीमती सौभाग देवी विधवा सत्यनारायण जाति महाजन निवासी पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री सत्यनारायण जाति महाजन माहेश्वरी निवासी ग्राम पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी मकान नं0 4–द–63 पुराना बाबपूनगर, भीलवाडा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. फूला आत्मज छोटू जाति मीणा निवासी ग्राम हाथीखेडा मजरा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक: 07.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 183 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम पगारा की आराजी खसरा नम्बर 1923 रकबा 08 बीघा 17 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वादी के पति एवं पिता को नियमानुसार आवंटित हुई थी । राजस्व अधिकारियों ने गलती से भू–प्रबन्ध के बाद जमाबन्दी में लीजदार अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है एवं लीजदार की कोई श्रेणी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है ।

घोषित आज्ञप्ति द्वारा वादीगण को कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1923 रकबा 08 बीघा बिल्या ग्राम पगारा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पति/पिता को नियमानुसार आवंटित की गई थी । आवंटित भूमि में लीजदार दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट ने कब्जा किया है । प्रस्तुत प्रकरण तनकी कायमी में चल रहा था जिसे राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थित में उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट फूलचन्द का कब्जा होना बताया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानते हुए उसके विरूद्ध धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 निरस्त फरमाया जावे । वादीगण अपीलान्ट का वाद डिक्री किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपीलान्ट का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कब्जा प्राप्ति एवं अधिकार घोषणा के बावत् वाद पेश किया है जो न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं मौका तथा मजमे आम में प्राप्त जानकारी से भूमि पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का होना पाये जाने तथा अपीलान्ट भीलवाडा का रहने तथा भूमि अपीलान्ट के पति सत्यनारायण सोमानी द्वारा दिनांक 03.05.1972 को ही बेचान कर दिये जाने से अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया गया है । वादग्रस्त आराजी वर्तमान में अपीलान्ट के नाम लीजदारी में दर्ज है जो पूर्व में सत्यनारायण सोमानी की लीजदारी में दर्ज थी सत्यनारायण की मृत्यु के बाद विरासत से अपीलान्ट के नाम लीजदारी में दर्ज हुई । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में लीजदारी की कोई श्रेणी नहीं है लीजदारी निर्धारित अवधि के लिए दी जाती है यदि लीजदार का कब्जा नहीं है और लीजदार का कोई अधिकार स्वत्व नहीं है । इस प्रकार में अपीलान्ट के पति ने उक्त भूमि गौरू जाति मीणा को बेचान कर दिये जाने से और गौरू मीणा ने फूलचन्द रेस्पोडेन्ट को बेचान कर दिये जाने से अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई अधिकार शेष नहीं रहा है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का

वाद में चाहा गया था जबकि कानूनन कब्जे के अभाव में खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसने किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2015 आर.बी.जे. पेज 258, 2016 आर.आर.डी. पेज 612, 2014 आर.आर. डी. पेज 768 सेक्शन 42 आरटी एक्ट आदि पेश किये और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किय एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी वर्तमान में अपीलान्ट के नाम लीजदारी में दर्ज है जो पूर्व में सत्यनारायण सोमानी की लीजदारी में दर्ज थी सत्यनारायण की मृत्यु के बाद विरासत से अपीलान्ट के नाम लीजदारी में दर्ज हुई । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में लीजदारी की कोई श्रेणी नहीं है लीजदारी निर्धारित अवधि के लिए दी जाती है यदि लीजदार का कब्जा नहीं है और लीजदार का कोई अधिकार स्वत्व नहीं है । इस प्रकार में अपीलान्ट के पति ने उक्त भूमि गौरू जाति मीणा को बेचान कर दिये जाने से और गौरू मीणा ने फूलचन्द रेस्पोडेन्ट को बेचान कर दिये जाने से अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई अधिकार शेष नहीं रहा है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष वाद में चाहा गया था जबकि कानूनन कब्जे के अभाव में खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायाहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

12. निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/266

1. श्रीमती सौभाग देवी विधवा सत्यनारायण जाति महाजन निवासी पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री सत्यनारायण जाति महाजन माहेश्वरी निवासी ग्राम पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी मकान नं0 4–द–63 पुराना बाबपूनगर, भीलवाडा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. फूला आत्मज छोटू जाति मीणा निवासी ग्राम हाथीखेडा मजरा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 12/दावा/2011

1. श्रीमती सौभाग देवी विधवा सत्यनारायण जाति महाजन निवासी पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री सत्यनारायण जाति महाजन माहेश्वरी निवासी ग्राम पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी मकान नं0 4–द–63 पुराना बाबपूनगर, भीलवाडा ।

——वादी

बनाम

1. फूला आत्मज छोटू जाति मीणा निवासी ग्राम हाथीखेडा मजरा पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 07.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल शर्मा, श्री मुकेश शर्मा उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 07.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा